



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1689

दिनांक : 30-5-2016

प्रति,

प्राचार्य,
श्री एस.आर.एज्यूकेशन कॉलेज
ग्राम-नेवड, जिला-नीमच।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियक्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/53, दिनांक 06.04.2016


शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितान्त अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.एससी.बी.एड.-प्रथम वर्ष (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)	50


- शर्तें :-**
- कोड 28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन कराया जावे।
 - विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार रु.25,000/- की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें।

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति दो माह में पूर्ण कर अभिलेख विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

नोट :-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के रिकानाईज आर्डर F.No. WRC/APP2949//.BSc B-Ed/245ph/247th/MP/2016/162693, Date 03-03-2016 आधार पर प्रदान की गई है।


30/5/16

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/1690

दिनांक : 30.5.2016

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002,
- निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।

निरंतर...02